न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 27 / 2022

उनवान

प्रहलाद नायक पुत्र रामलाल जाति नायक निवासी ग्राम देराठू, नसीराबाद
—— प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री नितेश यादव

बनाम

1. मुन्नी देवी पत्नी रामलाल
2. संजय नायक पुत्र रामलाल जाति नायक निवासी ग्राम देराठू, नसीराबाद
3. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 1 व 2 जरियें अधिवक्ता गोर्धन गुर्जर
3 जरियें राज0 पैरोकार

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :–

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मंडियानी के हाल खसरा नम्बर 552 रकबा 0.57, 2517 / 552 रकबा 0.25 प्रार्थी की खातेदारी की है, जिसमें प्रवेश करने हेतु खसरा नम्बर 556, 2519 / 554, 2518 / 554, 553 / 1946 व 2516 / 552 में पूरब से पश्चिम दिशा में आवागमन करता है। प्रार्थी के पास अपने खातेदारी खेतों में आवागमन हेतु अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नही है। अतः प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु 30 फिट चौडा मार्ग डी0एल0सी0 दरों पर दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जरियें अधिवक्ता स्वीकारोक्ति का जवाब पेश किया। तहसीलदार नसीराबाद ने प्रकरण में मौका रिपोर्ट पेश की। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। तहसीलदार नसीराबाद की रिपोर्ट अनुसार ''प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर आवागमन हेतु सम्पर्क रास्ता खसरा नम्बर 560 (ग्राम मण्डियानी–ढाल रोड) से प्रारम्भ होकर खसरा नम्बर 556, 2519 / 554, 2518 / 554, 553 / 1946 व 2516 / 552 के पश्चिम सीमा तक उपरोक्त खसरा नम्बर के दक्षिण दिशा में 30 फिट चौडा रास्ता प्रस्तावित किया गया है। मौके पर उपरोक्त खसरा नम्बर के चारो ओर जालीनुमा [illegible] पर प्रार्थी व अप्रार्थी ने उपरोक्त प्रस्तावित रास्ते को सुविधाजनक बताया है [illegible] में प्रसतावित रास्त उपयोग में लेना बताया गया।'' राजस्व अभिलेख [illegible] 552, 2517 / 552 प्रार्थी की खातेदारी में है। खसरा नम्बर 2519 / 554 अप्रार्थी [illegible] की खातेदारी में है, खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:30:29 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

नम्बर 2518/554, 553/1946, 2516/552 अप्रार्थी संजय नायक की खातेदारी में दर्ज है व खसरा नम्बर 556 सिवायचक दर्ज है। मौका पर्चा अनुसार आराजी मुतनाजा पर आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है। उभयपक्ष उक्त रास्ते हेतु सहमत है। राज0 पैरोकार व अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो का खण्डन नही किया है। उक्त रास्ते की प्रार्थी को आत्यांतिक आवश्यकता भी सिद्व होती है। धारा 251 ए की मूल अवधारणा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराने की है। मौका रिपोर्ट में भी कोई विपरित तथ्य प्रकट नही किया गया है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम मण्डियानी के हाल खसरा नम्बर 556 (सिवायचक) में से 18.5 गुणा 9.144 कुल 169.164 वर्ग मीटर, 2519/554 में से 82 गुणा 9.144 कुल 749.808 वर्ग मीटर 2518/554 में से 42 गुणा 9.144 कुल 384.048 वर्ग मीटर, 553/1946 में से 23 गुणा 9.144 कुल 210.312 वर्ग मीटर व 2516/552 में सें 50 गुणा 9.144 कुल 457.20 वर्ग मीटर आराजी सिवायचक रास्ता दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते है। खसरा नम्बर 556 (सिवायचक) में से रास्ते की भूमि के बदले 5160 रूपये (अक्षरे पांच हजार एक सौ साठ रूपये) सिवायचक खाते में जमा होने के बाद व खसरा नम्बर 2519/554 में रास्ते की भूमि के बदले 22870/(अक्षरे बाईस हजार आठ सौ सतहर रूपये) अप्रार्थी मुन्नी देवी को भूगतान के बाद व खसरा नम्बर 2518/554, 553/1946, 2516/552 में रास्ते की भूमि के बदले 32092/(अक्षरे बतीस हजार बारनवे रूपये) अप्रार्थी संजय नासक को भूगतान के बाद तहसीलदार नसीराबाद उक्त रकबे को राजस्व अभिलेख में सिवायचक रास्ता दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:00:29 IST
Reason: SelfAttested